मुन्तकिली प्रकरण सं. 130/2017 (RCMS 2017/00236) अनवानी 1. भागीरथ पुत्र श्री रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 34 जी जी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), सादुलशहर, 2. बलदेव सिंह 3. मलकीत सिंह पुत्रगण वरयाम सिंह जाति रामगढिया, निवासी मम्मडखेडा, तहसील सादुलशहर 4. सुखदेव कौर पुत्री वरियाम सिंह पत्नी जगमेल सिंह जाति रामगढ़िया, निवासी 10 चक तहसील सादुलशहर 5. महेन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री वरियाम सिंह पत्नि मुखत्यार सिंह जाति रामगढ़िया निवासी रोटावाली तहसील सादुलशहर, 6. राज कौर पुत्री वरियाम सिंह पत्नी सुखपाल सिंह जाति रामगढिया निवासी लुणिया तहसील घड़साना जरिये मुखत्यारे आम वरियाम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह जाति रामगढिया निवासी मम्मडखेडा, तहसील सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलवन्त बिश्नोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 34/2012 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 411 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण बलदेव सिंह, मलकीयत सिंह, सुखदेव कौर, महेन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर राज कौर पुत्री वरयाम सिंह के विरूद्ध पेश किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है इसलिए अन्यत्र सक्षम उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सुनवाई व निस्तारण के मुंतकिली किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 411 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर जिस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दिनांक 22.11.2017 को प्रस्तुत किया था, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है। इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर